रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/95
REGISTERED NO. D.L.—33002/95

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधारण
EXTRAORDINARY

सं० 70] दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 4, 1995/चैत्र 14, 1917 [पी० आर० डी० सं. 106
No. 70] DELHI, TUESDAY, APRIL 4, 1995/CHAITRA 14, 1917 [P. R. D. No. 106

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 अप्रैल, 1995

सं. फा. 13(2)/95-न्याय-II/एल.ए./60.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 31 मार्च, 1995 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

विनियोजन अधिनियम (संख्या 1) 1995

(दिल्ली अधिनियम संख्या 1, 1995)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथापारित अधिनियम)

एक

अधिनियम

वर्ष 1994-95 से संबंधित कार्यों के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिये विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 46वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाये।

(1) संक्षिप्त शीर्षक.—इस अधिनियम को विनियोजन (संख्या-1) अधिनियम, 1995 कहा जाये।

(2) 72,39,56,000/- रुपयों का निर्गम.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभावों की अदायगी के लिये बहत्तर करोड़ उन्तालीस लाख छप्पन हज़ार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में वर्ष 1994-95 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

(3) विनियोजन.—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किये जाने के लिये प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिये विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(खण्ड 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

मांग संख्या	सेवाएं एवं उद्देश्य	राशि इससे अधिक नहीं		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधि पर भारित	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	सामान्य प्रशासन,	—	448	448
5	पुलिस	120018	—	120018
8	समाज कल्याण	—	48	48
10	विकास	—	479	479
11	स्वायत्त शासन निकाय तथा लोक निर्माण विभाग	584687	17710	602397
	लोक ऋण	—	566	566
	जोड़:—	704705	19251	723956

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th April, 1995

No. F. 13(2)|95-Judl. II|L.A.|60—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 31st March, 1995 and is hereby published for general information.

THE APPROPRIATION (NO. 1) ACT 1995

(DELHI ACT NO. 1 OF 1995)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for services in respect of the financial year 1994-95.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 46th year of the Republic of India as follows :—

1. Short Title.—This Act may be called the Appropriation (No. 1) Act 1995.

2. Issue of Rs. 72,39,56,000.—From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (5) of the schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Seventy two crores thirty nine lakhs and fifty six thousands towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 1994-95 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(Rs. in Thousands)

Demand No.	Services and Purposes	Sums not Exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	General Administration	..	4,48	4,48
5	Police	12,00,18	..	12,00,18
8	Social Welfare	..	48	48
10	Development	..	4.79	4.79
11	Local Self Govt. & Public Works Department	58,46,87	1,77,10	60,23,97
	Public Debt	..	5,66	5,66
	TOTAL:—	70,47,05	1,92,51	72,39,56

सं. फा. 13(1)/95–न्याय-II/एल.ए./59—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 31 मार्च, 1995 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशि किया जा रहा है।

विनियोजन (लेखा अनुदान) अधिनियम, 1995

(दिल्ली अधिनियम संख्या 2, 1995)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथापारित अधिनियम)

एक

अधिनियम

अप्रैल तथा मई 1995 की अवधि से संबंधित कार्यों के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ राशि का विनियोजन करने के लिये विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 46वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाये।

(1) संक्षिप्त शीर्षक.—इस अधिनियम को विनियोजन (लेखा अनुदान) विधेयक, 1995 अधिनियम कहा जाये।